हिन्दी का काम करने वाले कर्मचारियों की अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि

9135. **श्री श्री सुन्दरलाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच वर्ष का सेवा काल पूरा होने पर अनुभाग अधिकारियों को दो अग्रिम वार्षिक वेतन-वृद्धियां दी गई हैं जिससे वे अपनी कार्यकुशलता बनाये रखें ;

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्दी कार्य करने वाले कर्मचारियों को और विशेषकर हिन्दी सहायकों को दो अग्रिम वेतन-वृद्धियां दी जायेंगी जिससे वे अपनी कार्यकुशलता बनाये रखें क्योंकि उनके लिये पदोन्नति के कोई प्रत्यक्ष अवसर नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किस तिथि से और यदि नहीं तो हिन्दी कार्य करने वाले कर्मचारियों विशेषकर हिन्दी सहायकों की कार्यकुशलता को बनाये रखने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं । सम्भवत: माननीय सदस्य के विचार में वह योजना है जिसके अन्तर्गत अनुभाग अधिकारियों की कुछ श्रेणियों को कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए 350-900 रुपये के एधीकृत वेतन-मान में दो अवस्थाओं अर्थात् 530 रुपये और 740 रुपये की अवस्थाओं पर अग्रिम वेतन-वृद्धियां मंजूर की जाती हैं । यह विशेषत: उन अनुभाग अधिकारियों के मामले में किया जाता है जो 1-7-59 को अनुभाग अधिकारियों के तत्कालीन ग्रेड III के वेतन-मान में थे । लेकिन अनुभाग अधिकारियों के तत्कालीन दो ग्रेडों को एक ही ग्रेड में मिला देने के कारण पदोन्नति की भावी सम्भावनाओं की हानि के बदले उन्हें क्षतिपूर्ति कराना ही अनिवार्यत: इसका आशय है ।

(ख) और (ग). अन्य कर्मचारियों के मामले में इसी तरह की परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं और इसलिये अग्रिम वेतन-वृद्धियों का इसी तरह का लाभ उन्हें देने का प्रश्न नहीं उठता ।

***Ad hoc* INCREMENT TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES**

9136. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether a final decision has since been taken to grant *ad hoc* increment to those employees who are stagnating on the maximum of the grade since last two years;

(b) if not, the reason for the same; and

(c) whether Railway employees have been given this benefit ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : (a) and (b). The matter is under consideration and a decision is expected to be taken shortly.

(c) Yes, Sir.

PAYMENTS TO PAKISTAN

9137. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the names of the treaties under which India is obliged to make payments to Pakistan;

(b) the amount payable under each treaty yearly, especially the Indus Water Treaty;

(c) the amount paid during the last three years and the form in which it has been paid ; and

(d) the amount paid for the treaties which have ceased to operate ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : (a) and (b). Under the Indus Water Treaty, payments were made from November 1960 to November 1969 in ten annual equal instalments aggregating £62,060,000 to the International Bank for Reconstruction and Development as India's contribution to the Indus Basin Development Fund.

Apart from this, under the Partition arrangements, Pakistan was paid Rs. 70 crores as its share of the cash balance of the